न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ, जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :–सुरेश राव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः–66/2023

जी.सी.एम.एस नं.–2023/149

समेन्द्रसिंह पुत्र बलराजसिंह जाति जटसिख निवासी चक 5 एल एल तहसील व जिला श्रीगंगागनर (राज.)

---वादी

बनाम्

1. जसविन्द्र सिंह महेन्द्र सिंह जाति तरखान निवासी 16 ए पी डी (बी) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. गुरदीप सिंह उुर्फ बिटटू पुत्र दारासिंह जाति जटसिख निवासी चक 16 ए पी डी (बी) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

----प्रतिवादीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता.

वकील उपस्थित–

1. श्री चरणजीत सिंह चन्दी एडवोकेट वादी की ओर से
2. श्री तिलकराज चुघ एडवोकेट प्रतिवादीगण की ओर से

–:: निर्णय ::– दिनांकः–25/12/25

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रतिवादीगण वादी व वादी के भाई लखदीपसिंह की सयुक्तं खाता की कृषि भूमि चक 16 ए पी डी (बी) तहसील अनूपगढ का मु.नं.–20 पत्थर सं. 267/397 का किला नं.–3/1 का 0.127, 4 का 0.253, 5/1 का 0.228, 5/2 का 0.025 खाला 6/1 का 0.228, 6/2 का 0.025 खाला, 7 का 0.253, 8/1 का 0.126, 13/1 का 0.127, 14 का 0.253, 15/1 का 0.228, 15/2 का 0.025 खाला, 16/1 का 0.227, 16/2 का 0.026 खाला, 17 का 0.253, 18/1 का 0.253, 22/2 का 0.126, 25/1 का 0.228, 25/2 का 0.025 खाला कुल 3.162 हैक्टर कमाण्ड मय खाला सयुक्तं रूप से खातेदारी दर्ज है तथा इसी मुरब्बा में वादी के भाई लखदीपसिहं के नाम की भूमि मु.नं.–20 पत्थर सं.–267/397 का किला नं.–1/2 का 0.228, 2 का 0.253, 3/2 का 0.126, 8/2 का 0.127, 9 का 0.253, 10/2 का 0.228, 11/2 का 0.228, 12/1 का 0.175, 21/1 का 0.227, 24 का 0.253 हैक्टर कुल 1.998 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि पर वादी व उसके भाई के कब्जा काश्त, उसके उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बेजा मदाखलत पैदा करने व करवाने से तथा इस भूमि के लिऐ चल रहे रास्ता में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा करने व करवाने से बाज वा ममनू रहे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 की तरफ से श्री तिलकराज चुघ एडवोकेट उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या 1 ने **प्रार्थना पत्र आदेश [illegible]** सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि चक 16 ए पी डी (बी) तहसील अनूपगढ़ [illegible] .–267/397 का किला नं.–1, 10, 11, 20, 21 में गैरमुमकिन रास्ता [illegible] वादी द्वारा उक्त रास्ते की जमीन पर नाजायज रूप से काबिज होने के आशय से वाद [illegible] किया गया है एवम ह[illegible] पटवारी कि रिपोर्ट में भी दर्ज है कि किला [illegible] शुदा रास्ता को अवरुद्ध रखा है। जिस बाबत प्रतिवादीगण द्वारा सिमाज्ञान व रास्ता को हटाये जाने के लिए राजस्व नियमों के तहत कार्यवाही भी की गई जिसकी प्रतिया प्रार्थना पत्र के साथ सलग्नं है। उक्त समस्त कार्यवाही को वादी द्वारा सभिकथित नही किया गया एवम रास्ता जो स्वीकृत शुदा है इस प्रकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.12.31 13:45:00 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

अतिक्रमण किये जाने का अनुतोष चाहने का दावा किया गया है जो विधी द्वारा वर्जित है उक्त रास्ता के चालू ना होने से हम प्रतिवादीगण को एवं पुरे परिवार को आवगमन से बाधित होना पड़ रहा है ऐसी स्थिती में वाद पत्र प्राथम दृष्टया निरस्त किये जाने योग्य है।
अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन हैं कि वादी का वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित होने के कारण मौजुदा स्टेज पर खारिज फरमाया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण/वादीगण ने निवेदन किया कि है कि मुरब्बा नं.–267/397 का किला नं.–1, 10, 11, 20, 21 के गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। लेकिन प्रतिवादी सं.–1 व 2 वादी को भूमि रास्ता की आड़ में कब्जा करना चाहते है। प्रतिवादी सं.–1 व 2 द्वारा प्रार्थी की भूमि पर रात को अपने ट्रेक्टरो द्वारा मिटी की टिल्ले लगा दिये जिसकी शिकायत प्रार्थी द्वारा पुलीस थाना अनूपगढ़ में भी की गई है। वादी उक्त वाद प्रतिवादी सं.–1 व 2 के विरूद्व पेश किया गया है कि वे वादी को भूमि मे किसी प्रकार की मदाखल नही करे। वादी का वाद विधी सम्मत है। अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन हैं कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की कृपा होगी।
प्रकरण मे प्रतिवादी सं.–3 तहसीलदार अनूपगढ़ से रिपोर्ट तलब की गई। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार अनूपगढ़ के चक 16 एपीडी का पं.नं.–267/397 के किला नं.–1 का 0.025, 10 का 0025, 11 का 0.025, 20 का 0.025, 21 का 0.026 कुल 0.126 हैक्टयर भूमि राजस्व रिकार्ड में रास्ता के रूप में दर्ज है। शेष भूमि अन्य वादी व अन्य कास्तकारो के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उपरोक्त रास्ता भूमि दर्ज किला नं.–11 में आशिंक सींमा में कच्चा व पक्का मकान का निर्माण मौका पर वादी व परिवार के द्वारा मौका पर कर रखा है। पटवारी रिपोर्ट की फोटो कोपी की प्रति इस पत्र के सलग्न करके रिपोर्ट श्रीमान जी सेवा में अग्रीम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का भी अध्ययन किया। प्रार्थी के विद्ववान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी/प्रतिवादीगण सं.–1 ने अपनी मौखिक बहस में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से निवेदन किया कि वादी द्वारा उपरोक्त वाद में वर्णित वादी द्वारा उक्त रास्ते की जमीन पर नाजायज रूप से काबिज होने के आश्य से वाद पत्र पेश किया गया है एवम हल्का पटवारी कि रिपोर्ट में भी दर्ज है कि किला नं.–1 व 11 में स्वीकृत शुदा रास्ता को अवरूद्ध कर रखा है। जिस बाबत प्रतिवादीगण द्वारा सीमाज्ञान व रास्ता को हटाये जाने के लिए राजस्व नियमो के तहत कार्यवाही भी की गई है। उक्त समस्त कार्यवाही को वादी द्वारा सभिकथित नही किया गया एवम रास्ता जो स्वीकृत शुदा है इस प्रकार अतिक्रमण किये जाने का अनुतोष चाहने का दावा किया गया है उक्त रास्ता के चालू ना होने से हम प्रतिवादीगण को एवं पुरे परिवार को आवगमन से बाधित होना पड़ रहा है वादी का वाद पोषणीय नहीं हैं तथा मौजूदा स्तर पर ही काबिल खारिज है। वादी का वाद पूर्णतया: Frivolous एवं न्यायालय प्रक्रिया का दुरूपयोग हैं जो पोषणीय नहीं हैं तथा इसी स्तर पर काबिल खारिज है। उक्त वाद विधि विरूद्ध होने के कारण माननीय न्यायालय मे पोषणीय नहीं है। वादी का वाद पत्र मय हर्जा मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अतः उक्त विवेचन के क्रम में न्यायालय की राय में पत्रावली [illegible] प्रा[illegible]ी सं.–1 विवादित भूमि मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार अनूपगढ़ के चक 16 एपीडी का पं.नं.–267/397 के किला नं.–1 का 0.025, 10 का 0025, 11 का 0.025, 20 का 0.025, 21 का 0.026 कुल 0.126 हैक्टयर भूमि राजस्व रिकार्ड में रास्ता के रूप में दर्ज है। शेष भूमि अन्य वादी व अन्य कास्तकारो के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उपरोक्त रास्ता भूमि दर्ज किला नं.–11 में आशिंक सींमा में कच्चा व पक्का मकान का निर्माण मौका पर वादी व परिवार के द्वारा कर रखा है। वादी द्वारा अवरोध को बनाए रखने के लिए व सीमाज्ञान की कार्यवाही को असफल करने के लिए दावा पेश किया है

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.12.31 13:45:00 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

और वादी क्लीनलैण्ड से न्यायालय में नहीं आया है। वादी का हस्तगत वाद पूर्णतया: Frivolous एवं न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग होने के कारण एवं वाद के विधि द्वारा वर्जित होने से न्यायालय के समक्ष पोषणीय नहीं होने के कारण प्रार्थी/प्रतिवादीगण सं.–1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद नामंजूर किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी (प्रतिवादीगण सं.–1) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद पत्र निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24/12/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

कार्यालय उप जिला कलक्टर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.12.31 13:45:00 IST
Reason: SelfAttested